

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती

(जिला बस्ती राज्य, उत्तर प्रदेश)

पत्र संख्या/मान्यता/५१२३-२५
प्रबन्धक,

श्यामा हरि तेज (एस०एच०टी०) पब्लिक स्कूल,
शंकरपुर, विक्रमजोत, बस्ती।

/2017-18 दिनांक 30.12.2017

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,


आपके तारीख २५-८-२०१७ के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं श्यामा हरि तेज (एस०एच०टी०) पब्लिक स्कूल शंकरपुर विक्रमजोत, बस्ती को तारीख 01 अप्रैल 2017 से तारीख 31 मार्च 2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल०क००जी० से कक्षा ४ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने के संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा ४ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपचार्य-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010(उपचार्य-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर बर्गों और सुविधा विहीन सभूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा-12 की उपक्रम-2 के उपक्रमों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निरक्षित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिन्हेंके मास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक संघ को किसी निजी अध्यापन क्लिया-कलापों में नियोजित नहीं करें।
- विद्यालय समुचित प्रधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों का बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्राप्तुरिकाएं निम्नानुसार हैं-
- (क) विद्यालय परिसर का परिक्षेत्र उपलब्ध है।

- (ख) क्रीड़ा स्थल उपलब्ध है।
 (ग) कक्षाओं की संख्या 10 कमरा।
 (घ) प्राव्यापक—सह कार्यालय—सह मण्डल के लिए कक्ष है।
 (ङ) बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक—पृथक शौचालय है।
 (च) पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
 (छ) मिड डे मील पकाने के लिए स्सोई है।
- बाधा रहित पहुंच है।
- (ज) अध्यापन यठन सामग्री / क्रीड़ा खेल कूद उपस्कर्ण / पुस्कालय की उपलब्धता है।
9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उससे बाहर विद्यालय के नाम से कोई और मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का फ्रेझेगु केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रदूषित किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यापि, व्यापियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण निषेंगों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विकरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक—कोड—GST-UP(L-03)/1/24 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पञ्चाचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतु अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई है, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपाधन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. उपरोक्त मान्यता संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आव्याता तथा उनकी संस्तुति के आधार पर एवं संबंधित प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है जिसका कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में जाता है तो यह आदेश निर्मत तिथि से स्वतः समाप्त हो सकता है।

मददीय

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी


पृष्ठ संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नान्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- सहायक शिक्षा निदेशक(वैसिक) गोसखपुर/बस्ती मण्डल।
- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद—बस्ती।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी



 Principal
 Shyama Hari Tej Public School
 Shankarpur, Vikramjot, Basti


 Manager
 Shyama Hari Tej Public School
 Shankarpur, Vikramjot, Basti

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती

पत्रांक: /बेसिक/ स0प्र0/ ।016 /2020-21
श्यामा हरि तेज (एस0एच0टी0)
पब्लिक स्कूल, शंकरपुर,
विक्रमजोत, बस्ती।

दिनांक : 16.03.2021

कृपया आप अपने पत्रांक दिनांक 03.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के क्रम में आप को अवगत कराना है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, बस्ती की जांच आख्या दिनांक 11.03.2021 के अनुसार श्यामा हरि तेज (एस0एच0टी0) पब्लिक स्कूल, शंकरपुर, विक्रमजोत, बस्ती की प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 (अंग्रेजी माध्यम) तक (पत्र संख्या-15123-25 /2017-18 दिनांक 30.12.2017 के द्वारा) मान्यता प्राप्त है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-डी0ई0 / बेश0प0 / 2828-2919 / 2010-11 दिनांक 07 जुलाई 2010 एवं शासनादेश सं0-419-79-6-2014-18(20) / 91 दिनांक 08 मई 2013 के अनुसार विद्यालय वर्तमान शैक्षिक सत्र में संचालित है एवं मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है।

Shyama Hari Tej
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
Hari Tej बस्ती

Shyama Hari Tej
Principal
Shyama Hari Tej Public School
Shankarpur, Vikramjot, Basti

Manager
Shyama Hari Tej Public School
Shankarpur, Vikramjot, Basti




झारखण्ड शूल विधा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

राज्य विभाग, वित्त विभाग, राजसभापाल, लखनऊ - 226 007

फ़ॉक्स: uprakam@jagran.com फ़ॉक्स: 0522-4224440, 2700304, 2261126



प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक
शूल विधा एवं
नियम

देश में

की अधिक रप्त
द्वितीय संघित
झुकाव एवं सामग्री विभाग,
विधान नगरालय, भारत सरकार,
भारतीय बन न्यू दिल्ली।

प्राप्ति राज्यालय/ ५६५५ / २०२१-२२/लखनऊ

दिनांक ०३ अक्टूबर, २०२२

देश- इस वर्ष के न्यू से नाम्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायर कोड अवधित किये जाने के सम्बन्ध में।

चूल्हा-

हमना ज्ञानद करना है कि राज्य सरकार से विभिन्न रप्तों में नाम्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायर कोड अवधित किये जाने के अनुरोध अनुसारित किये गये हैं। एक रप्त के पूर्व से नाम्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों को भारत सरकार के सरकार से यह अधिकत करने हुए वापस कर दिया जाया है कि 'झुकाव अपटेटेड नाम्यता यू-डायरोड कर देंगे' हैं।

इस द्वितीय विधे वयों अनुरोदों में शैक्षिक शैक्षिक संस्थाएँ ही जगत्तारित की गयी हैं। प्रमुख खबर, उत्तर प्रदेश राज्य विभाग जनवरी-८ के जासनादेश संख्या-५१९/७९-६-२०१३-१४(२०)/११ दिनांक ०६ मई, २०१३ (प्रति रखेगन) के द्वितीय विधे वयों में उल्लिखित विधा 'झुकाव अपटेटेड नाम्यता विभिन्न प्राप्त विभिन्न संघित प्राविधिकों के द्वितीय विधे वयों के नाम्यता संघित विधे की विधायी। इस अधिकारी नाम्यता की रप्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई शैक्षिक संस्थान नाम्यता की रप्तों की अपील पूरी होने पर यह नाम विधा जावेगा कि विधायी की शैक्षिक संस्थान संघित नाम्यता हो जायी है। के प्रमुखता नाम्यता के सम्बन्ध में अपटेटेड प्राप्त यू-डायर करने का प्राविधिक नहीं है। अनामी नाम्यता प्राप्त हो जायी है। इस द्वितीय विधे वयों में नाम्यता प्राप्त अधिकारी नवीन शैक्षिक संघित नाम्यता को यू-डायर कोड अवधित करने का आवंटन होता है। इन द्वितीय विधे वयों में नाम्यता प्राप्त अधिकारी नवीन शैक्षिक संघित नाम्यता को यू-डायर कोड अवधित करने का आवंटन होता है।

जट यापत्ति अनुरूप है कि पूर्व के न्यूट्रिक्स/समुक्ति प्रदाता-प्राप्तार के जनाय में यू-डायर कोड अवधित करने का अनुरोध न्यूट्रिक्स/समुक्ति प्रदाता-प्राप्तार के जनाय में यू-डायर कोड अवधित करने का अनुरोध है।

चूल्हा-उत्तराय

महादीपा,

(अनुरागिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांक राज्यालय/ / २०२१-२२/लखनऊ/उद्दिनक
प्रतिलिपि

१. दिल्लीविधायी सम्बन्ध जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के सम्बन्ध में आपके जनपद में संबंधित सम्बन्ध पाप्र
शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायर कोड के आवंटन की कार्रवाई करने का कहा करें।
२. श्री संय अकार, वीरेंद्र लालनीय विधायक (सार्वजनिक एक)
३. विधा द्वितीय विधा अधिकारी जनाय विधाय, उत्तर प्रदेश;

(अनुरागिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Manager

Shyama Hari Tej Public School
Shankarpur, Vikramjot, Basti

Manager
Shyama Hari Tej Public School
Shankarpur, Vikramjot, Basti